पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–23/2013–06/आ०प्र० दिनांक 15.05.2013, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना पत्रांक 58 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 30.08.13, पत्रांक 60(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 04.09.13 तथा पत्रांक 61(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 10.09.13 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0001–**निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड–एन० 2245021010001** मद् में क्रमशः 40.00 (चालीस लाख), 40.00 (चालीस लाख), 100.00 (एक करोड़) तथा 200.00 (दो करोड़) रुपये अर्थात् कुल 380.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 693/आ०प्र० दिनांक 01.07.13, ज्ञापांक 836/आ०प्र० दिनांक 03.08.13, ज्ञापांक 1124/आ०प्र० दिनांक 13.09.13, ज्ञापांक 1138/आ०प्र० दिनांक 17.09.13 तथा ज्ञापांक 1224/आ०प्र० दिनांक 03.10.13 द्वारा विभिन्न अंचलों को उपावंटित किया गया है।

पुनः संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 77(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 25.10.13 द्वारा उक्त मद् में 767.25 (सात करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा अंचल अधिकारी, बाढ़ के पत्रांक 1264 दिनांक 26.10.13 द्वारा उक्त मद् में 3.47 (तीन लाख सैतालीस हजार) रुपये आवंटन के रूप में प्रत्यार्पित किया गया है। अतः विभाग से प्राप्त आवंटन मो० 767.25 (सात करोड़ सड़सठ लाख पच्चीस हजार) तथा अंचल अधिकारी, बाढ़ द्वारा प्रत्यार्पित 3.47 (तीन लाख सैतालीस हजार) रुपये यानि कुल 770.72 (सात करोड़ सत्तर लाख बहत्तर हजार) रुपये को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013–14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या– 39, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

(राशि :– लाख रूपये मे)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	योग
01.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	49.000	22.655	71.655
02.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	60.000	98.715	158.715
03.	अंचल अधिकारी, फतुहा	30.170	102.235	132.405
04.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	65.000	82.090	147.090
05.	अंचल अधिकारी, पुनपुन	0.000	0.000	0.000
06.	अंचल अधिकारी, दानापुर	85.000	174.500	259.500
07.	अंचल अधिकारी, मनेर	80.000	243.220	323.220
08.	अंचल अधिकारी, मोकामा	5.000	47.305	52.305
09.	अंचल अधिकारी, बाढ़	1.530	0.000	1.530
10.	अंचल अधिकारी, खुसरूपुर	0.830	0.000	0.830
	कुल उपावंटित राशि	**376.530**	**770.720**	**1147.250**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–अनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष–0001–**निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान विपत्र कोड एन० 2245021010001** मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

Awantan

2. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद् में इस राशि को विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। व्यय होनेवाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000– आकस्मिकता निधि" अंकित किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-03/13 1380 /आ०प्र०, दिनांक 28/x/13

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, अथमलगोला/बख्तियारपुर/फतुहाँ/पटना सदर/दानापुर/मनेर/बाढ़/मोकामा/खुसरूपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी/दानापुर/बाढ़/मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/पटना सिटी/दानापुर/बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/x/13

जिला पदाधिकारी,
पटना।